

कार्यालय जाप

भारत सरकार द्वारा तेल कंपनी से थोक विक्रेताओं को निर्गत हो रहे मिट्टी तेल का मूल्य 26567.10 से बढ़ाकर 26829.60 रुपये प्रति किलोलीटर कर दिया गया है। मिट्टी तेल के मूल्य में 262.50 रुपये प्रति किलोलीटर अर्थात् रुपये .26 (प्रकारान्तर से 26 पैसे) प्रति लीटर की बृद्धि हो जाने के फलस्वरूप जिलाधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में, मिट्टी तेल के नवीनतम निर्धारित थोक व फुटकर मूल्य निम्नानुसार है -

क्षेत्र का नाम	थोक मूल्य प्रति किलोलीटर (रुपये में)	थोक विक्रेता द्वारा (सेन्ट्रल / स्टेट टैक्स) के रूप में जमा कराई जाने वाली धनराशी प्रति किलोलीटर	फुटकर मूल्य प्रति लीटर (रुपये में)	
			नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्र हेतु थोक विक्रेता के गोदाम से केवल 20 किलोमीटर तक की दुरी के लिए)	ग्रामीण क्षेत्र हेतु थोक विक्रेता के गोदाम से 20 किलोमीटर से अधिक दुरी के लिए
01	02	03	04	05
गाजियाबाद/ मोहननगर	28938.87	100.44	30.00	30.10
लोनी	29017.62	104.20	30.05	30.15
मुरादनगर	29007.12	103.70	30.05	30.15
मोदीनगर	28996.62	103.20	30.05	30.15

सम्बन्धित क्षेत्र के मिट्टी तेल के थोक विक्रेता द्वारा प्राप्त किये गए वित्त कर और आयल कंपनी को भुगतान किये गए वित्त कर का अंतर्मूल्य (स्तम्भ: 03 के अनुसार) प्रति किलोलीटर की दर से वाणिज्य कर के रूप में राजकीय कोष में जमा किया जायेगा।

शासनादेश संख्या 79/29-7-2008-एम-01/2008 दिनांक: 11.01.2008 के अनुसार उचित दर विक्रेता वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत नहीं है तथा उनका वार्षिक टार्नओवर रुपये 05 लाख से कम है, अतः (सी.जी.एस.टी.+एस.जी.एस.टी.) विभाग के परामर्श के अनुसार उचित दर विक्रेताओं के स्तर पर न तो वैट लिया जायेगा और न ही उनके स्तर पर जमा किया जायेगा।

मिट्टी तेल के उपरोक्त नवनिर्धारित मूल्य तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक : 164 / जि.पू.अ.- पेट्रो.अनु./मूल्य निर्धा./मि.ते./2019

दिनांक : 18.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त आयुक्त(खाद्य) मेरठ मंडल मेरठ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, गाजियाबाद।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद गाजियाबाद।
5. समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक गाजियाबाद।
6. समस्त थोक मिट्टी तेल विक्रेता जनपद गाजियाबाद।
7. अद्वय जिला पेट्रोलियम विक्रेता संघ गाजियाबाद।

8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गाजियाबाद को इस आशय से की मिट्टी तेल के उपर्युक्त नवीनतम मूल्यों को जिले पूर्ति अधिकारी के वेबपेज Ghaziabad.nic.in/dso पर डाउनलोड कराने का कष्ट करे।

9. सहायक निर्देशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग गाजियाबाद को इस आशय से की मिट्टी तेल उपर्युक्तानुसार नवीनतम निर्धारित मूल्यों को जनहित में स्थनीय समाचार-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करे।

जिला पूर्ति अधिकारी
गाजियाबाद।

78
24/1/19